न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर (राजस्थान)

निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई.ए.एस

प्रकरण संख्याः— **03/2013** आवंटन निरस्ती

श्रीलाल पिता सवलाल गुर्जर, निवासी नान्दोली खुर्द, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.....**प्रार्थी**

बनाम

1. श्री कैलाशचन्द्र पिता घीसूलाल महाजन, निवासी फतहनगर, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.....**विपक्षीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्ध आवंटन आदेश उपजिला कलक्टर, वल्लभनगर

उपस्थितः 1. श्री विजय कुमार ओस्तवाल, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री राजेश कुमार अग्रवाल, अधिवक्ता विपक्षीगण

निर्णय

दिनांकः—.....

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा नान्दोली खुर्द, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.) में संवत् 2030 की जमाबन्दी में आराजी नम्बर 586/219 रकबा 15 बिघा बारानी तृतीय 6.5 बिघा एवं बंजड़ 8.15 बिघा होकर सिवाय चक कृषि योग्य होकर राजस्व रेकार्डमें सरकार के नाम दर्ज थी। इस आराजी में से विपक्षी संख्या 1 को 12.10 बिघा भूमि संवत् 2028 में आवंटन होकर नामान्तरकरण संख्या 37 से संवत् 2028 में खोला गया। आवंटन कमेटी द्वारा विपक्षी संख्या 1 को जिन शर्तो पर भूमि का आवंटन किया गया उन शर्तो की पालना विपक्षी संख्या 1 द्वारा नहीं की गई। विपक्षी को भूमि का आवंटन राजनैतिक प्रभाव एवं सरकारी अधिकारी की मिलीभगत से आवंटन किया गया। आवंटन के पश्चात् आज दिन तक ना तो कभी विपक्षी का इस भूमि पर कब्जा ही रहा।

नाही भूमि मौके पर विपक्षी को आवंटन ही की गई। विपक्षी सद्भाविक काश्तकार नहीं होकर वह व्यापार करता हैं। उसकी कस्बा फतहनगर में दुकान है एवं अच्छा व्यापार होकर करोड़ो रूपयो का लेन देन हैं। खसरा गिरदावरी संवत् 2032 से लगायत 2065 तक से स्वतः ही साबित होता है कि आवंटी द्वारा इस भूमि पर कभी भी काश्त नहीं की गई। इस भूमि पर प्रार्थी का 40 वर्षो से कब्जा चला आ रहा हैं। मवेशियो को बांधने के लिये बाड़ा बना रखा हैं। कांटे की बाड़ लगाई हुई हैं। विपक्षी को भूमि का आवंटन कानुनो को ताक में रखकर किया गया। किया गया आवंटन कानुन के विपरीत होकर अवैधानिक हैं। इस अवैध आवंटन के आधार पर विपक्षी संख्या 1 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता हैं। अतः विपक्षी को ग्राम नान्दोलीखुर्द में आराजी नम्बर 586/219 रकबा 12 बिघा 10 बिस्वा पर किया गया आवंटन को निरस्त फरमाया जाकर पुनः भूमि बिलानाम सरकार दर्ज कराना फरमावें।

अपने प्रार्थना पत्र के साथ में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र पेश करने में हुई देरी को कण्डोन फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विद्ववान अधिवक्ता विपक्षी द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि से प्रार्थी का कोई संबंध नहीं हैं। आवंटीत भूमि पर प्रार्थी का कोई कब्जा या दखल नहीं रहा हैं। और नाही इतने समय में प्रार्थी ने कभी आवंटन के विरूद्ध कोई कार्यवाही ही की थी। प्रार्थी विपक्षी को प्रताड़ित कर पैसा ऐठना चाहता हैं। इसलिये उपरोक्त कार्यवाही कर रहा हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र समय बाधित होने से निरस्त योग्य हैं। विपक्षी संख्या 1 को आवंटन कमेटी द्वारा पात्र मानते हुए नियमो का पालन कर विधिपूर्वक ही आवंटन किया हैं। विपक्षी का कब्जा था और आवंटन के बाद भी विपक्षी कृषि करता रहा हैं। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र मनगढंत व झूठे आधारो पर प्रस्तुत किया गया है तथा बिना विधिक अधिकार और औचित्य के प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य हैं।

पत्रावली पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र की ताईद में निवेदन किया कि विपक्षी को वादग्रस्त

भुमि का आवंटन किया गया हैं जो राजनैतिक प्रभाव से किया गया हैं। जबकि विपक्षी सद्भाविक काश्तकार नहीं है वह व्यापारी हैं जिसका अच्छा व्यापार होकर करोड़ो रूपयो का लेनदेन हैं। वह भुमिहीन काश्तकार भी नहीं था। वादग्रस्त भुमि पर कब्जा प्रार्थी का हैं। संवत् 2032 से 2065 की जिन्स गिरदावरी की नकल संलग्न पत्रावली हैं। जिसमें आवंटीत भुमि पड़त हैं। विपक्षी द्वारा कभी भी इस भुमि पर काश्त नहीं की गई हैं। जिससे भी स्वतः साबित होता है कि विपक्षी द्वारा इस भुमि आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई हैं। ऐसी स्थिति में विपक्षी के नाम आवंटन से दर्ज भुमि को खारीज की जाकर पुनः बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

विद्ववान अधिवक्ता विपक्षी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थी के कथनो का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि विपक्षी को विधिवत आवंटन सलाहकार समिति द्वारा भुमि का आवंटन किया गया। जिसमें कोई राजनैतिक प्रभाव नहीं था। विपक्षी भुमिहीन काश्तकार की श्रेणी में आने से ही उसे भुमि का आवंटन किया गया। आवंटन तिथी से ही आवंटीत भुमि पर कब्जा काश्त विपक्षी का ही हैं। प्रार्थी इस भुमि को क्रय करना चाहता हैं। जिसे विपक्षी द्वारा मना कर दिये जाने पर प्रार्थी द्वारा विपक्षी को जलील व परेशान करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। यह भुमि विपक्षी के नाम संवत् 2030 से पूर्व से चली आ रही हैं। परन्तु करीबन 40 वर्ष से अधिक समय के पश्चात् आवंटन निरस्ती का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना किसी भी स्थिति में जायज नहीं हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारीज कराना फरमावें।

उभयपक्ष की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अध्ययन किया गया। बहस पर मनन व पत्रावली के अवलोकन के उपरांत न्यायालय का मत है कि प्रार्थी द्वारा अपने 14(4) के प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया है कि विरूद्ध आवंटन आदेश उप जिला कलक्टर साहब वल्लभनगर परन्तु प्रार्थना पत्र में यह कही पर भी अंकित नहीं है कि उप जिला कलक्टर वल्लभनगर के किस आवंटन आदेश के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई हैं। जिसका भी अपील मेमो में अभाव हैं। 40 वर्ष से अधिक समय के बाद 14(4)

का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवंटन निरस्ती कि इस्तदुआ किया जाना भी न्याय संगत नहीं हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर 40 वर्ष से अधिक समय बाद आवंटन निरस्ती की कार्यवाही कृषि प्रयोजनार्थ भुमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत की गई हैं। जो उचित नहीं होने से आवंटन को निरस्त नहीं किया जा सकता हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता हैं।

पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर
उदयपुर